

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी बरसी, जयपुर प्रतिवादीगण

वादी सीताराम वनाम कानाराम व अन्य
संख्या 119/25 (2025/) दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

आज्ञा वाही आज्ञा विस्तृत रूप से विशेष विवरण

25 वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री कुलदीप किशोर शर्मा द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की जरिये रजि0 ए.डी./साधारण नोटिस तलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 21/07/2025 को पेश हो।

951
11-7-25

उपखण्ड अधिकारी बरसी

~~पत्रावली पेश हुई। R.O. सा बर/ कार्र में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 18-9-25 को पेश हो।~~

21/07/25
पत्रावली पेश हुई। R.O. सा कार्र में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 21/08/25 को पेश हो।

18/8/25 प्रकरण में प्रार्थना पत्र मिसल तलब पेश होने पर प्रार्थना पत्र मिसल तलब पर सुना गया।


प्रार्थना पत्र मिसल तलब स्वीकार होने पर पत्रावली पूर्व नियत तारीख पेशी दिनांक 21/08/2025 से तलब होकर आज पेश हुई।

प्रकरण में स्वयं वादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत विद्वे किये जाने वादपत्र पेश किया, स्वयं वादी उपस्थित जिलेकी पहचान वादी अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा की गई वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत वादपत्र विद्वे किये जाने पर सुना गया।

सीता 12/25
S. d.
18/8/25

वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी प्रकरण को छोड़ने नहीं चाहता।

चाहता है, विद्वां करवाना चाहता है।
प्रार्थना पत्र बावजूद वादपत्र विद्वां
पर वकील वादी को सुनने के पश्चात्
न्यायहित में वादपत्र विद्वां प्रार्थनापत्र
को स्वीकार किया जाकर दावा वादी
विद्वां किया जाता है। प्रार्थना पत्र वाद
विद्वां स्वीकार होने से दावा वादी
खारिज किया जाता है। फ़ावलीनम
से कर होकर वाद तकमील वाकिल
दे फ़र ही।


उपसुण्ड अधिकारी
बस्ती जिला-जयपुर